

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 88/24 (विविध प्रा. पत्र)

GCMS No. : 2024/276

अनवान

1. श्रीनाथ मिनरल्स एण्ड क्रशिंग प्लांट थ्रु पार्टनर कमला साहु पत्नी सुखलाल साहु जाति तेली निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीनाथ मिनरल्स एण्ड क्रशिंग प्लांट थ्रु पार्टनर धिराग साहु पुत्र मांगीलाल साहु जाति तेली निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीनाथ मिनरल्स एण्ड क्रशिंग प्लांट थ्रु पार्टनर मांगीलाल साहु पुत्र सुखलाल साहु जाति तेली निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीनाथ मिनरल्स एण्ड क्रशिंग प्लांट थ्रु पार्टनर राजेन्द्र कुमार साहु पुत्र सुखलाल साहु जाति तेली निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्रीनाथ मिनरल्स एण्ड क्रशिंग प्लांट थ्रु पार्टनर सुखलाल साहु पुत्र आँकारलाल साहु जाति तेली निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम

दिनांक : 28.10.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा वरनोदा पटवार हल्का मोतीदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में प्रार्थी के खाता संख्या नया 232 खसरा न. 161 रकबा 1.3400 है. भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का क्रमशः 1/5-1/5 हक हिस्सा निहित है. एवं खाता संख्या नया 233 आराजी न. 2045/161 रकबा 1.8900 है. भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का क्रमशः 1/5-1/5 हक हिस्सा निहित है।



2. यह कि वर्तमान में हुए नवीन सेंटलमेंट में उक्त प्रार्थना पत्र की कलम न. 1 में दर्शित भूमि को भू नक्शा में मौके एवं रेकॉर्ड से भिन्न जगह पर दर्शित कर दिया गया है अर्थात् मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड में जिस स्थान पर आराजी न. 161 स्थित है, भू नक्शा में उस स्थान पर आराजी न. 2045/161 को दर्शित कर रखा है साथ ही मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड में जिस स्थान पर आराजी न. 2045/161 स्थित हैं उस स्थान पर भू-नक्शा में आराजी न. 161 दर्शित कर रखी है, जिससे मौके, राजस्व रेकॉर्ड में भू-नक्शा की स्थिति में भिन्नता दर्शित हो रही है एवं भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, ऐसी स्थिति में मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार भू-नक्शा में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया।
3. प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम वरनोदा पटवार हल्का मोतीदा की खाता संख्या 232 खसरा 161 रकबा 1.3400 है व खाता संख्या 233 खसरा 2045/161 रकबा 1.8900 है, भूमि खातेदार श्रीनाथ मिनरल्स एण्ड क्रिशिंग प्लांट थ्रु पार्टनर (1) कमलासाहु पत्नि सुखलाल साहु (2) चिरागसाहु पिता मांगीलाल साहु (3) मांगीलाल साहु पिता सुखलाल साहु (4) राजेन्द्र कुमार साहु पिता सुखलाल साहु व सुखलाल साहु पिता आँकारलाल साहु समस्त जाति तेली के क्रमशः हिस्सा 1/5-1/5 दर्ज रेकॉर्ड हैं।
4. पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि आराजी संख्या 161 व आराजी संख्या 2045/161 की स्थिति ऑनलाईन भू-नक्शा में उक्त आराजीयात की स्थिति में भिन्नता है। पटवार स्तर पर उपलब्ध वाद सेंटलमेंट प्राप्त नक्शा शीट में देखने पर बताया कि आराजी संख्या 160 के दक्षिणी दिशा में (आराजी संख्या 160 के नीचे) आराजी संख्या 2045/161 की पुख्ता लाल स्याही से तरमीम कर रखी है व आराजी संख्या 2045/161 के दक्षिणी दिशा में आराजी संख्या 161 की पुख्ता लाल स्याही से तरमीम कर रखी है। यह कि ऑनलाईन भू-नक्शा साइट पर उपलब्ध वर्तमान राजस्व नक्शा देखने पर पटवार स्तर पर उपलब्ध नक्शा शीट अनुसार आराजी अंकित नहीं किया

जाकर ऑनलाईन भू-नक्शा साईट में आराजी संख्या 160 के दक्षिणी दिशा में आराजी 161 (आराजी संख्या 160 के निचे) एवं आराजी संख्या 161 के दक्षिणी दिशा 2045/161 दर्ज रेकॉर्ड है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत कर रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम वरनोदा की आराजी संख्या 161 रकवा 1.3400 है. व आराजी संख्या 2045/161 रकवा 1.8900 है. भूमि को पटवार स्तर पर उपलब्ध राजस्व नक्शे अनुसार ही ऑनलाईन भू-नक्शा में आराजी संख्या 161 के स्थान पर 2045/161 व आराजी संख्या 2045/161 के स्थान पर आराजी संख्या 161 (ऑनलाईन भू-नक्शा में) प्रविष्ट किया जाना प्रस्तावित किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि को मौके व रेकॉर्ड से भिन्न जगह पर दर्शित कर दिया गया हैं अर्थात जिस स्थान पर आराजी न. 161 स्थित है भू-नक्शा में उस स्थान पर आराजी न. 2045/161 को दर्शित कर रखा हैं तथा जिस स्थान पर आराजी न. 2045/161 स्थित है उस स्थान भू-नक्शा में आराजी न. 161 दर्शित कर रखी हैं जिससे नवीन सेटलमेंट के बाद हुई त्रुटि को सुधारे जाने का निवेदन किया। प्रकरण में पटवारी हल्का रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पटवार स्तर उपलब्ध नक्शा शीट में आराजी संख्या 160 के दक्षिणी दिशा में (आराजी संख्या 160 के नीचे) आराजी संख्या 2045/161 की पुख्ता लाल स्याही से तरमीम कर रखी है व आराजी संख्या 2045/161 के दक्षिणी दिशा में आराजी संख्या 161 की पुख्ता लाल स्याही से तरमीम कर रखी है जबकि ऑनलाईन भू-नक्शा साईट पर पटवार स्तर पर उपलब्ध नक्शा शीट अनुसार आराजी अंकित नहीं की गई हैं। पटवारी हल्का द्वारा ऑनलाईन भू नक्शा में आराजी संख्या 161 के स्थान पर आराजी संख्या 2045/161 व आराजी संख्या 2045/161 के स्थान आराजी संख्या 161 प्रविष्ट किया जाना प्रस्तावित किया।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मोजा वरनोदा पटवार हल्का मोतीदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सम्बत् 2078-81 की आनलाईन भू- नक्शा में आराजी संख्या 161 रकबा 1.3400 है के स्थान पर आराजी संख्या 2045/161 रकबा 1.8900 है. व आराजी संख्या 2045/161 रकबा 1.8900 है. के स्थान पर आराजी संख्या 161 रकबा 1.3400 है. (ऑनलाईन भू-नक्शा में) प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।